उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

04/12/24 पंजीयन चेतना हुई। आपत्तिकर्ता
प्रार्थी अतु। आपत्तिकर्ता विपक्षी
उप.। न्यायालय समय से
आवाज लगवाई गई। आपत्तिकर्ता
प्रार्थी अथवा प्रार्थी स्वयं
उपस्थित नहीं हुआ अतः प्रार्थी
का प्रा.पत्र अंडर हाफते अंडर
चेतनी से खारीज किया जाता है।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)